(86) परिशिष्ट 1-1 (256)

कार्यवाही विवरण

विषयः– राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी की बैठक का कार्यवाही विवरण।

दिनांक 18/01/2010 को श्री पी.जॉय.ओमेन, मुख्य सचिव, छ.ग. शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (SLNA) की बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक में निम्नानुसार अधिकारी उपस्थित हुये :-

1. श्री डी.एस.मिश्र, प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं वन विभाग,
2. श्री देवाशीष दास, विशेष सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
3. श्री आशीष चक्रवर्ती, केंद्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड रायपुर,
4. श्री पी.एल. कुलकर्णी, सहायक प्रबंधक, नाबार्ड, छ.ग.,
5. डॉ. एस.एस. शॉह, संचालक, अनुसंधान सेवाएँ, इं.गॉ.कृ.वि.वि., रायपुर,
6. डॉ. ए.एल.राठौर, प्रमुख वैज्ञानिक इं.गॉ.कृ.वि.वि., रायपुर,
7. श्री पी.के. साहू, वैज्ञानिक, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, रायपुर,
8. श्री पी.के. दवे, उप–सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
9. श्री एस.आर.वर्मा, संयुक्त संचालक, कृषि विभाग,
10. श्री एम.के. चंद्राकर, संयुक्त संचालक, कृषि विभाग,
11. श्री जी.के. मिश्रा, तकनीकी अधिकारी, जलग्रहण प्रकोष्ठ, ज.ग्र.प्र., विकास आयुक्त कार्यालय,
12. श्री कुण्डलेश्वर पाणिग्राही, पर्यवेक्षण अधिकारी, ज.ग्र.प्र. विकास आयुक्त कार्यालय।

बैठक के प्रारंभ में विशेष सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव, पं. एवं ग्रा.वि.वि. एवं वन विभाग तथा राज्य शासन के विभिन्न विभागों से उपस्थित अधिकारियों एवं SLNA के मान. सदस्यगणों का स्वागत करते हुए उनका मुख्य सचिव से परिचय कराया।

श्री प्रदीप दवे, उप–सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकस विभाग द्वारा पावर पाईंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से एजेण्डा पर बिंदुवार चर्चा प्रस्तुत की गई।

एजेण्डा क्रमांक –1

पूर्व बैठक दिनांक 08.10.2009 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि। (कार्यवाही विवरण एवं पालन प्रतिवेदन परिशिष्ट–1 पर संलग्न)

निर्णयः– पूर्व बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टी की गई।

एजेण्डा क्रमांक –2

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग भारत सरकार से नवीन 12 IWMP परियोजनाओं की स्वीकृति से संबंधित स्टेयरिंग कमेटी का कार्यवाही विवरण प्राप्त।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग भारत सरकार द्वारा नवीन स्वीकृत 12 परियोजनाओं में 09 परियोजनाओं को छ.ग. राज्य के प्रस्ताव अनुसार यथावत स्वीकृति किये गये। शेष 03 परियोजनाएं क्रमशः जांजगीर–चांपा जिले से 02 एवं जशपुर जिले से 01 परियोजना में उपचारित क्षेत्र के संबंध में पुनः जांच कर संशोधन उपरांत कार्य की शर्त पर सशर्त सहमति प्रदान की गई।

उपरोक्तानुसार तीनों परियोजनाओं के उपचारित क्षेत्रफल के संबंध में आवश्यक परीक्षण किया जाकर यथासंशोधित प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये गये।

निर्णयः– **भारत सरकार को प्रेषित पत्र अवलोकनार्थ प्रस्तुत। प्रस्तुत प्रस्ताव एवं भारत सरकार को प्रेषित पत्र पर SLNA द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।**

एजेण्डा क्रमांक –3

3.1 भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक K-11013/9/2009-IWMP(Chhattisgarh), दिनांक–30.09.2009 द्वारा नवीन स्वीकृत IWMP परियोजनाओं में नियुक्त PIA के संशोधन हेतु जिलों से प्राप्त प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा जलग्रहण परियोजनाओं हेतु जारी कॉमन गाइड लाईन के बिंदु–5.1 (पैरा–34) के आधार पर परीक्षण उपरांत PIA में संशोधन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई

क्र.	जिले का नाम	परियोजना का नाम	पूर्व PIA का नाम	संशोधित प्रस्ताव अनुसार PIA का नाम
1	कोरबा	IWMP-II छुईयानाला	Asstt. Engr., WRD	सहा.परि.अधि., जलग्रहण जिला पंचायत कोरबा
2	रायगढ़	IWMP-II सारंगढ़	CEO-JP	उद्यान विस्तार अधिकारी, जिला रायगढ़

3.2 इसी प्रकार बिलासपुर जिले से प्राप्त संशोधन अनुसार निम्नानुसार IWMP [illegible] में PIA में संशोधन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई

क्र.	जिले का नाम	परियोजना का नाम	पूर्व PIA का नाम	संशोधित प्रस्ताव अनुसार PIA का नाम
1	बिलासपुर	IWMP-III मस्तुरी	CEO-JP	उपसंचालक कृषि, बिलासपुर

निर्णयः– **बिंदु क्रमांक 3.1 पर कृत कार्यवाही एवं 3.2 पर मु.कार्य.अधि. ज.पं. के स्थान पर संचालक कृषि, बिलासपुर को बनाये जाने पर SLNA द्वारा सहमति प्रदान की गई।**

एजेण्डा क्रमांक –4

4.1 पूर्व स्वीकृत 15 जिलों की 29 IWMP परियोजनाओं में से 11 जिलों द्वारा कामन गाइड लाईन 2008 के बिंदु–5.3 (पैरा–40) में प्रावधान अनुसार एवं भारत सरकार के पत्र क्रमांक **K-11013/9/2009-IWMP (CHHATTISGARH)** दिनांक 30 सितंबर 2009 के बिंदु क्रमांक–8 अनुरूप **WDT** की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

4.2 जिला पंचायत राजनांदगांव, कांकेर, धमतरी एवं दंतेवाडा से **प्राप्त WDT** की प्राप्त **सूची** पर चर्चा उपरांत कॉमन गाइड लाईन के बिंदु क्रमांक–5.3 (पैरा–40) अनुसार **प्रस्तुत** की गई जिसे SLNA द्वारा अनुमोदित किया गया।

4.3.1 संशोधित मार्ग दर्शिका, 2001, हरियाली मार्गदर्शिका तथा वर्तमान में प्रभावशील कॉमन गाइड लाईन 2008 में निहित प्रावधान अनुसार विस्तृत चर्चा उपरांत 5000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र के IWMP परियोजनाओं में WDT को रू. 3000/–प्रतिमाह के स्थान पर रू. 4000/–प्रतिमाह एवं 5000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के IWMP परियोजनाओं में WDT मानदेय रू. 5000/– के स्थान पर रू. 6000/–प्रतिमाह किये जाने का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा क्रमांक –5

5.1 भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक DO.No. Z-11011/20/2009-PPC दिनांक 09.12.2009 अनुसार परियोजनाओं के परियोजना व्यय हेतु राशि SLNA को प्राप्त होगी तथा SLNA संबंधित PIA/CEO-ZP को यह राशि 15 दिवस के भीतर निर्गमित की जावेगी। अतः इस हेतु खाता क्रमांक 30998047417, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मंत्रालय शाखा में खोला गया। **कृत कार्यवाही पर कार्योत्तर अनुमोदन दिया गया।** साथ ही योजना मद की राशि का **आहरण एवं संवितरण CEO-SLNA** एवं अपर संचालक (वित्त), **विकास आयुक्त कार्यालय को संयुक्त संचालन हेतु अधिकृत** किया गया।

5.2 IWMP परियोजनान्तर्गत 90% केंद्रांश एवं 10% राज्यांश का वित्तीय प्रावधान है तथा राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (SLNA) के प्रशासकीय व्यय हेतु 91.25 लाख तथा जिलों के प्रशासकीय व्यय हेतु 172.00 लाख रूपये भारत सरकार से प्राप्त। अनुपातिक 10% राशि अनुपूरक बजट में पारित होने के उपरांत प्राप्त होगी।

निर्णय :–

1. **बैठक** में चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि भारत सरकार से प्राप्त राशि प्रत्येक जिले को रू. 10.75 लाख निर्गमित करते हुए भारत सरकार के पत्र क्र. K-11012/11/2009-IWMP (IS), दिनांक 29.10.2009 द्वारा दिये गये निर्देश तथा छ. ग. शासन, वित्त विभाग द्वारा दिये गये निर्देश तथा छ.ग. शासन, वित्त विभाग द्वारा दिये गए वित्तीय अधिकार अनुरूप व्यय किये जाने हेतु निर्देश सर्व संबंधित जिलों को जारी करने की शर्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. राज्य सरकार द्वारा जलग्रहण प्रकोष्ठ हेतु पूर्व में 14 पद स्वीकृत है। बैठक के चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्त पद को SLNA हेतु, (i) पर्यवेक्षण अधिकारी/तकनीकी अधिकारी 01 पद, (ii) शीघ्र लेखक–01 पद, (iii) सहायक ग्रेड 02 पदों को राज्य सरकार के निर्धारित संविदा नियम के अनुसार निर्धारित वेतन मान पर संविदा के माध्यम से पदों को भरने का अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही GIS सेल अंतर्गत GIS Software के उपयोग करने हेतु NIC के माध्यम से Out source से तीन सहायक प्रोग्रामर (जी.आई.एस. विशेषज्ञ), NIC के माध्यम से प्राप्त NICSI के Invoice अनुसार 6 माह का वेतन कुल रूपये 2,88,800/– अग्रिम रूप से NIC के माध्यम से NICSI को दिये जाने का अनुमोदन किया गया। साथ ही GIS सेल अंतर्गत डाटा एंट्री आपरेटर एवं प्रोग्रामर के 01–01 पद हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन मान पर राज्य सरकार के प्रचलित संविदा नियम अनुसार निर्धारित वेतनमान से भरने का निर्णय लिया गया।

3. SLNA के लेखा अभिलेख संधारण करने तथा रखरखाव हेतु लेखाधिकारी एवं लेखा सहायक के 01–01 पद हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वेतन मान पर रखने हेतु वित्त विभाग को पत्र लिखकर अनुमोदन उपरांत प्रतिनियुक्ति/संविदा पर रखे जाने हेतु अनुमोदन दिया गया।

4. भारत सरकार, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र क्रमांक K-11012/11/2009-IWMP(IS). दिनांक 29/09/09 द्वारा बिंदु क्रमांक 04 तथा 05 अनुसार SLNA को राज्य स्तर तथा CEO-P&RD के जलग्रहण प्रकोष्ठ हेतु Recurring Grant तकनीकी विशेषज्ञ तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।

5. भारत सरकार के पत्र क्रमांक K-11012/11/2009-IWMP(IS), दिनांक 29.09.2009 के पैरा–2b के अनुसार उपरोक्त समस्त पद प्रतिनियुक्ति से भरा जाना है। संयुक्त संचालक (निर्देशक) क्रो छोड़कर शेष पद हेतु प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी उपलब्ध नहीं हो रहे है। अतः भारत सरकार को सूचित कर राज्य सरकार के संविदा नियम के अनुसार पद भरे जाने हेतु प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

GIS विशेषज्ञ NIC के माध्यम से Outsource से तथा अन्य शेष 08 पद पर छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र अनुसार संविदा से भरे जाने हेतु निर्णय के साथ इस संबंध में भारत सरकार, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय को अध्यक्ष SLNA की ओर से पंत्र लिखने का निर्णय लिया गया।

6. राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी हेतु NIC के माध्यम से क्रय किये जाने वाले GIS सॉफ्टवेयर हेतु (833918.80) एवं हार्डवेयर हेतु (1123579.23) इस तरह कुल राशि 1957498.03 NIC के मांग अनुसार अग्रिम भुगतान करने का अनुमोदन सर्व सहमति से बैठक में लिया गया।

7. विशेष सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (CEO-SLNA) तथा उपसचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (Deputy CEO-SLNA) को क्रमशः नवांअंजोर तथा आयुक्त कार्यालय द्वारा वाहन प्रदाय किये गये है, वाहन चलाने हेतु 2 वाहन चालक दैनिक वेतन पर (कलेक्टर दर पर निर्धारित) SLNA के प्रशासनिक मद से रखने की स्वीकृति बैठक में चर्चा उपरांत दी गई।

5.3 SLNA को प्राप्त होने वाली राशि व्यय हेतु अधिकारों का प्रत्यायोजन के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से SLNA को प्राप्त होने वाली उपरोक्त राशि का उपयोग निम्नानुसार किये जाने का निर्णय लिया–

(1) भारत शासन से 90% केंद्रांश की राशि प्राप्त होने पर राज्यांश में से 10% राशि जिलों को जारी की जावेगी।

(2) प्रशासनिक व्यय हेतु जिला स्तरीय प्रकोष्ठों के लिए प्राप्त राशि भारत शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों अनुसार जिलों को हस्तांतरित की जावेगी।

(3) राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ के लिए उपलब्ध राशि को व्यय करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न मदों के लिए वित्तीय स्वीकृति के अधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित किए जाएँ। इसके लिए प्रस्तावित है कि छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन भाग–एक एवं भाग–दो के आधार पर निम्नानुसार अधिकार प्रत्यायोजित किए जाएँ :–

(i) विकास आयुक्त कार्यालय के कार्यालय प्रमुख – कार्यालय प्रमुख को प्रदत्त अधिकारों के सीमा तक।

(ii) विकास आयुक्त एवं विभागाध्यक्ष – विभागाध्यक्ष को प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के सीमा तक।

(90) 21.

(iii) प्रशासकीय विभाग– प्रशासकीय विभाग को प्रदत्त वित्तीय अधिकारों की सीमा तक। ऐसे प्रकरणों में विभाग के माननीय मंत्रीजी की स्वीकृति प्राप्त की जावेगी। (253)

(iv) SLNA - ऐसे प्रकरण जो प्रशासकीय विभाग के अधिकार सीमा के बहार हो उनमें SLNA की स्वीकृति प्राप्त की जाऐगी।

वित्तीय स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में IWMP के लिए संधारित बैंक खाते से चेक द्वारा आहरण किया जावेगा। प्रत्येक प्रकरण में चेक पर कार्यालय प्रमुख एवं SLNA के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाऐंगे।

एजेण्डा क्रमांक –6

DPAP एवं IWDP परियोजनाओं के अंतर्गत विभाग द्वारा वर्ष 2009–10 में परियोजनांतर्गत आगामी किश्तों के प्रस्ताव लागत 60.56 करोड़ भारत शासन को प्रस्तुत किये गये। 20,62 करोड़ लागत की परियोजनाओं के किश्त प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। उक्त परियोजनाओं के अतंर्गत प्राप्त केंद्रांश राशि के विरूद्ध राज्यांश राशि 1.37 करोड़ जिलों को विमुक्त कर दी गई है। भारत सरकार से लगभग 39.73 करोड़ (32 DPAP एवं 27 IWDP) के आगामी किश्त की राशि प्राप्त होना शेष है। SLNA के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया।

निर्णय– **32 DPAP एवं 27 IWDP के आगामी किश्त की राशि प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को स्मरण पत्र लिखा जाना है।**

एजेण्डा क्रमांक –7

विभाग के पत्र क्रमांक 4720 दिनांक 16.10.09 एवं पत्र क्रमांक 78, दिनांक 06.01.2010 द्वारा संबंधित जिलों के मु0कार्य0अधि0 को स्वीकृत नवीन IWMP परियोजनाओं के DPR तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था। तदनुसार रायगढ़, कोरबा, रायपुर, बस्तर जिलों ने DPR तैयार कस्ने हेतु आकड़ों का संकलन कर लिया है। उक्त कार्य अन्य जिलों में प्रगति पर है, फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में DPR को अंतिम स्वरूप दिया जाकर राज्य स्तर का प्लान भारत सरकार को भेजा जा सकेगा। प्रस्तावित है कि जिन जिलों से DPR तैयार होकर प्राप्त हो इस आधार पर राज्य सरकार का प्लान तैयार कर भारत सरकार को भेजे जाने हेतु प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अधिकृत किया जावे। प्रस्ताव प्रस्तुत।

निर्णय – विस्तृत रूप से चर्चा उपरांत विभागीय प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा क्रमांक –8

जलग्रहण परियोजनांतर्गत NGO के माध्यम से प्रशिक्षण एवं सामुदायिक संगठन के संबंध में विकास आयुक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक 6487, दिनांक 23.12.2005 द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये (परिशिष्ट–2)। इस पत्र के Norms में निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित किया गया:–

(b) *Norms for working of NGOs in Training & Community Organization*

S. No.	Norms of working of NGOs in Training & Comm. Organization	प्रस्तावित संशोधन
1	2	3
1	Work be assigned on "One year Agreement " basis	यथा प्रस्ताव ।
2	Sanction worth maximum to one third of previous three years financial achievement can be granted annually.	यथा प्रस्ताव ।
3	Month wise detail programme-plan with estimate of funds required, be got approved by DRDA by 3rd week of the previous month.	1. जलग्रहण परियोजनांतर्गत दिये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु वार्षिक कार्ययोजना (Calender) PIA द्वारा तैयार किया जाकर DRDA से अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा एवं तदनुसार प्रशिक्षण आयोजित किये जावेंगे। 2. जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों को जलग्रहण परियोजनाओं के प्रशिक्षण में प्राथमिकता के आधार पर आमंत्रित किया जावे एवं उनके मानदेय व उनके आने–जाने की व्यवस्था संबंधित PIA/ NGO संस्था करेगी।
4	Fund be released monthly on the basis of approved plan, but to the maximum limit of Rs. 50,000/- per month (inclusive of comm. Org. and training components)	प्रशिक्षण हेतु कृषकों को मानदेय का भुगतान, कृषकों को प्रशिक्षण के दौरान दी जाने वाली सुविधाएं जैसे–प्रशिक्षण स्थल, टैंट, माईक आदि की व्यवस्था की जवाबदारी संबंधित जलग्रहण परियोजना के PIA की होगी एवं कृषकों को दिए जाने वाले मानदेय का भुगतान संबधित PIA द्वारा सीधे कृषकों को उनके बैंक खातों में किया जावेगा।
5	Next installment of Rs. 50,000/- be released only after the previous one is fully utilized and is duly appraised at DRDA level.	प्रशिक्षणकर्ताओं के मानदेय एवं तकनीकी साहित्य का भुगतान ही संबंधित NGO को किया जावे। प्रशिक्षणकर्ता के मानदेय का निर्धारण SIRD निमोरा द्वारा "प्रशिक्षण हेतु मानदेय के निर्धारित मापदंड" के अनुसार किया जावेगा जिसका भुगतान DRDA के अनुमोदन के उपरांत संबंधित PIA द्वारा संबंधितों के बैंक खातों में किया जावेगा।

निर्णय :– विस्तृत रूप से चर्चा उपरांत विभागीय प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा क्रमांक –9

(92) 23 256

विभाग के जलग्रहण परियोजनाओं के मध्यावधि एवं अंतिम मूल्यांकन कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं की सूची के आधार पर आदेश क्रमांक 5377/म.मू./जलग्रहण/2009, दिनांक 07.12.2009 द्वारा मुख्य सचिव/अध्यक्ष SLNA के अनुमोदन उपरांत जारी किया गया था।

तीन परियोजनाओं में मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा संशोधन चाहा गया है, संशोधन प्रस्ताव निम्नानुसार है :–

क्र	परियोजना का नाम	मध्यावधि मूल्यांकनकर्ता के नाम	मूल्यांकनकर्ता के द्वारा संशोधन हेतु प्राप्त प्रस्ताव पत्र दिनांक	संशोधन पश्चात मूल्यांकन कार्य हेतु मूल्यांकनकर्ताओं के नाम
1	2	3	4	5
1	IWDP-I, कांकेर	नवां बिहान समिति, रायगढ़	दिनांक 10.12.09	श्री रविशंकर कन्नौजे, से.नि.सहा.वन संरक्षक
2	DPAP-11th बैच, बिलासपुर	श्री आर.के. चंद्रवंशी, उपसंचालक कृषि, रायपुर	दिनांक 02.09.09	श्री व्ही.पी. शर्मा, से.नि. उपसंचालक कृषि
3	IWDP-7th, रायपुर	श्री व्ही.पी. शर्मा, से.नि. उपसंचालक कृषि	दिनांक 02.09.09	श्री आर.के. चंद्रवंशी, उपसंचालक कृषि, रायपुर

निर्णय :– **कॉलम–5 में प्रस्तावित संशोधन पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

(कार्यवाही विवरण अध्यक्ष, SLNA द्वारा अनुमोदित)

28.1.2010

(पी.के. दवे)
उप–मु0कार्य0अधि0
राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी एवं उप–सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक 379/SLNA/10 रायपुर, दिनांक 28/01/10

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त के स्टॉफ आफिसर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं वन विभाग मंत्रालय, रायपुर,

4 सचिव, कृषि एवं पशुपालन विभाग, मंत्रालय, रायपुर,

5. आयुक्त, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना, रायपुर,

6. विशेष सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, SLNA मंत्रालय, रायपुर

7. विशेष सचिव, वन विभाग, मंत्रालय, रायपुर,

8. डॉ. सचदेव सिंह, उपायुक्त, राष्ट्रीय वर्षा जनित क्षेत्र विकास प्राधिकरण (NRAA), NASC काम्पलेक्स, देव प्रकाश, शास्त्री मार्ग, पूसा नई दिल्ली,

9. संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा, मंत्रालय, रायपुर,

10. श्री आशीष चक्रवर्ती, केंद्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड रायपुर

11. श्री पी.एल. कुलकर्णी, सहायक प्रबंधक नाबार्ड, छ.ग.

12. डॉ. एस.एस. शॉह, संचालक अनुसंधान सेवाएँ, इं.गां.कृ.वि.वि., रायपुर

13. डॉ. आर.बी.एस. सेंगर, संचालक विस्तार सेवाएं इं.गां.कृ.वि.वि., रायपुर

14. डॉ. ए.एल.राठौर, प्रमुख वैज्ञानिक इं.गां.कृ.वि.वि., रायपुर

15. श्री आर.के. राय वैज्ञानिक, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, लालपुर, रायपुर,

16. श्री पी.के. दवे, उप--सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर,

17. श्री एस.के. हेमराज, उप--सचिव, कृषि विभाग, मंत्रालय, रायपुर,

को सूचनार्थ एवं आवश्कय कार्यवाही हेतु प्रेषित।

26/1/2010

उप--मु0कार्य0अधि0
राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी एव
उप–सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़